

दिल्ली सरकार, रा.रा.क्षे.दिल्ली  
कार्यालय महानिदेशक ( कारागार ) : दिल्ली  
कारागार मुख्यालय : नियर लाजवंती गार्डन चौक, जनक पुरी : नई दिल्ली -64

अपीलकर्ता : श्री नरेन्द्र सिंह मीणा, उप अधीक्षक (निलंबित)  
आर.टी.आई कम्प संख्या : 10286-एफ दिनांक 20/06/2022  
अपील कम्प संख्या : 70 दिनांक 22/08/2022

आर.टी.आई. आवेदन, जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-(I), कारागार मुख्यालय, (तिहाड़) तथा जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या- 1 से 16 के ज्ञापन और प्रथम अपील का अवलोकन किया। अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने आठ जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या- 1, 3, 4, 8/9 से 13 के द्वारा दी गई सूचनाओं के प्रति प्रश्नवार आपत्ति दर्ज की है।

फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों में अंकित जन सूचना अधिकारियों के द्वारा दी गई सूचनाओं का प्रश्नवार गहन अवलोकन किया गया। अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र में प्रश्न संख्या- 1 से 6 व 12 में मांगी गई सूचनाओं के अभिलेखों को कारागार विभाग द्वारा संकलित रूप में तैयार नहीं किया जाता है, यद्यपि कुछ जन सूचना अधिकारियों द्वारा अंकित प्रश्नों की सूचनाओं को संकलित रूप से तैयार कर प्रदान किया गया है, जिसके आधार पर सभी जन सूचना अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है वह भी सूचना को संकलित रूप में तैयार कर आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराए।

प्रश्न संख्या-7 में मांगी गई जानकारी को गोपनीय सूचना होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या-3, 11 व 13 द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, जोकि संतोषजनक है जबकि कुछ जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना को प्रदान किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में गोपनीय सूचनाओं के संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान में सयमता बरतें।

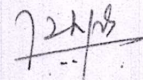
प्रश्न संख्या-9 में जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या-3 के द्वारा दी गई सूचना संतोषजनक है जबकि प्रश्न संख्या-13 का जवाब नहीं दिया गया है।

जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या-10 के ज्ञापन की प्रति अपीलकर्ता को प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार, जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या-3 को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्ता को प्रश्न संख्या-13 के लिए आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उपयुक्त सूचना उपलब्ध कराए तथा जन सूचना अधिकारी, कारागार संख्या-10 अपीलकर्ता को ज्ञापन की प्रति पुनः उपलब्ध कराए।

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

यदि अपीलकर्ता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह 90 दिनों के भीतर माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबागंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 के समक्ष दूसरी अपील कर सकता है।

  
उप महानिरीक्षक कारागार ( तिहाड़ )/  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

श्री नरेन्द्र सिंह मीणा, उप अधीक्षक ( निलंबित )  
वर्तमान पता:- कारागार संख्या-2, तिहाड़,  
नई दिल्ली-110064

F10(3476489)/ID-10286-F/CJ/Legal/2022/ 5169-86 Dated: 31/8/2022

आवश्यक सूचना/कार्यवाही के लिए प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-3 व 10.

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार मुख्यालय, तिहाड़, नई दिल्ली-110064.

जन सूचना अधिकारी/अधीक्षक-कारागार संख्या-1 से 16